भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3812

(सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर व्यय की निगरानी

3812. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय की निगरानी भौगोलिक आधार पर करती है, जिसमें जिला या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तर भी शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब के आनंदपुर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों में विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सूचित किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सीएसआर दिशानिर्देशों की पर्याप्तता की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या क्षेत्रीय विकास असमानताओं को दूर करने के लिए सीएसआर प्रभाव आकलन या रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): जी, नहीं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकडे जिसमें राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, कंपनी-वार और परियोजना-वार आंकड़े शामिल है, www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के लिए पंजाब के जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

(घ): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा वार्षिक रूप से फाइल करना आवश्यक है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू सीएसआर नीति का प्रकटन करना आवश्यक है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाण देगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के

जारी.....2/-

विवरण को सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना सहित 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना आवश्यक है, जो कि कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित प्रावधान हैं कि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व रखने वाली प्रत्येक कंपनी को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना होगा, जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों।

रिपोर्टिंग और प्रभाव आकलन के संबंध में उपर्युक्त मौजूदा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3812 के भाग (ख) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पंजाब में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिले**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	अमृतसर	14.22	19.21	17.86
2.	बरनाला	-	-	-
3.	बठिंडा	7.71	25.44	38.86
4.	फरीदकोट	0.06	0.07	1.31
5.	फतेहगढ़ साहिब	0.91	2.53	4.25
6.	फाजिल्का	0.07	-	-
7.	फिरोजपुर	5.82	6.70	2.78
8.	गुरदासपुर	1.31	2.69	2.97
9.	होशियारपुर	10.61	8.85	21.21
10.	जालंधर	5.06	9.01	11.53
11.	कपूरथला	5.37	4.99	6.83
12.	लुधियाना	45.83	66.47	67.67
13.	मालेरकोटला	-	0.09	0.10
14.	मनसा	2.03	2.42	2.33
15.	मोगा	1.13	1.72	2.76
16.	पठानकोट	-	-	-
17.	पटियाला	6.69	10.67	13.07
18.	रूपनगर	2.55	1.78	5.11
19.	एस.ए.एस. नगर	37.51	55.31	95.35
20.	संगरूर	9.34	14.27	10.50
21.	शहिद भगत सिंह नगर	1.51	3.31	3.29
22.	श्री मुक्तसर साहिब	2.48	4.17	3.49
23.	तरन तारन	0.44	-	-
24.	जिले जिसे अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है	24.75	23.82	40.62
कुल		185.41	263.51	351.89

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****